# संदिग्ध परिस्थितियों में सिर्फ गवाह की गवाही से वसीयत साबित नहीं होगी

जी. के. छिब्बर

**सुप्रीम** कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी वसीयत को लेकर संदिग्ध परिस्थितियां हैं, तो उसे केवल गवाह की गवाही के आधार पर वैध नहीं माना जा सकता। वसीयत को सही साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उसे पेश करने वाले पक्ष पर होती है। उसे अदालत को यह संतुष्ट करना होगा कि वसीयत वसीयतकर्ता की स्वतंत्र, समझ-बूझकर व्यक्त की गई अंतिम इच्छा थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए वर्ष 1974 की एक पंजीकृत वसीयत को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने पाया कि वसीयतकर्ता छज्जू राम एक अशिक्षित किसान थे, जो केवल अंगूठा लगाना जानते थे, और वसीयत से जुड़ी कई बातों का प्रतिवादी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

यह विवाद छज्जू राम की संपत्ति को लेकर था। उनकी पत्नी भाम्बो देवी का कहना था कि पति की मृत्यु बिना वसीयत के हुई, इसलिए वह उनकी एकमात्र कानूनी वारिस हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतिवादियों ने वर्ष 1974 की पंजीकृत वसीयत प्रस्तुत कर पूरी संपत्ति पर दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस वसीयत में पत्नी को पूरी तरह संपत्ति से वंचित कर दिया गया था और पूरी जायदाद ऐसे लोगों के नाम कर दी गई थी, जो करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे। वसीयत में उन्हें भतीजा बताया गया था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा दस्तावेज में बिना प्रमाणीकरण के काट-छांट भी की गई थी। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में वसीयत साबित करना केवल हस्ताक्षर या गवाह की गवाही तक सीमित नहीं रह जाता। संदेह की स्थिति में वसीयत पेश करने वाले को हर संदेह का संतोषजनक उत्तर देना होगा। इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत का फैसला बहाल करते हुए भाम्बो देवी को संपत्ति का वैध स्वामी घोषित किया।

**वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं :** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान एवं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने पार्वती एन बनाम लक्ष्मी एन मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि कानून के तहत वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और केवल पंजीकरण न होने के आधार पर किसी वसीयत को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, 'कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य हो। अधिकांश मामलों में वसीयत पंजीकृत नहीं होती। केवल इसी आधार पर उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाना पूरी तरह अनुचित है।' पीठ ने 1953 के ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम कमता देवी मामले का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यदि वसीयत के आसपास कोई संदिग्ध परिस्थिति हो तो उसकी गहन जांच की जा सकती है, लेकिन अपंजीकृत होना अपने आप में संदेह का कारण नहीं है। यह फैसला कर्नाटक के उडुपी निवासी बी. शीना नायरी द्वारा वर्ष 1983 में लिखी गई वसीयत को बरकरार रखते हुए दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी कृषि एवं अन्य संपत्ति अपनी पत्नी और बच्चों के बजाय अपनी बहन लक्ष्मी नायरथी के नाम की थी।

पीठ ने एक और महत्वपूर्ण बात यह कही कि वसीयत में प्राकृतिक वारिसों को संपत्ति से बाहर रखना भी अपने आप में संदिग्ध परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वसीयत का उद्देश्य ही उत्तराधिकार की सामान्य व्यवस्था को बदलना होता है। पीठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का अपनी इच्छा के अनुसार निपटान करने का कानूनी अधिकार है। जब तक वारिसों को बाहर रखने के साथ वसीयत के निष्पादन या उसकी प्रामाणिकता को लेकर कोई अन्य संदेहास्पद परिस्थिति न हो, तब तक केवल बहिष्कार के आधार पर वसीयत को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में वसीयत में यह उल्लेख था कि नायरी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अन्याय नहीं किया है तथा मुंबई में रहने वाले अपने परिवार के लिए पहले ही पर्याप्त प्रबंध कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होना स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल राजस्व प्रशासन होता है। एक गवाह के बयान से वसीयत का स्वेच्छा से और विधिवत निष्पादन सिद्ध होने तथा जालसाजी का कोई साक्ष्य न मिलने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय अदालत और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णयों से सहमति जताते हुए वसीयत को वैध माना।

### एनपीएस संचय योजना शुरू

# छोटी बचत से मिलेगा सुरक्षित भविष्य का सहारा

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से 'एनपीएस संचय' योजना को लेकर बैरसिया जनपद सभागार में जन-जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया।

इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को नियमित छोटी बचत के माध्यम से भविष्य के लिए पेंशन कोष तैयार करने के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम में बताया गया कि किसान, श्रमिक, महिलाएं, छोटे कारोबारी, स्वरोजगार से जुड़े लोग और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अक्सर सीमित आय के कारण सेवानिवृत्ति की योजना नहीं बना पाते। ऐसे लोगों के लिए 'एनपीएस संचय' सरल और सुलभ पेंशन बचत योजना के रूप में तैयार की गई है। इसमें निवेशकों को अलग-अलग निवेश विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि योजना पूर्व निर्धारित कॉम्पोजिट निवेश व्यवस्था पर आधारित है।

योजना के तहत केवल 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है। इसके बाद नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार मात्र 10 रुपये से भी स्वैच्छिक अंशदान कर सकते हैं। नियमित बचत के माध्यम से लंबे समय में पेंशन कोष तैयार होता है। योजना में निर्धारित नियमों के अनुसार आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस योजना का लाभ 18 से 85 वर्ष आयु के सभी भारतीय नागरिक ले सकते हैं। खाता ऑनलाइन ई-एनपीएस पोर्टल, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य अधिकृत बैंक शाखाओं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से खोला जा सकता है।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि समय पर शुरू की गई छोटी-छोटी बचत भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकती है।

**नाम परिवर्तन सूचना**

पूर्व में मेरा नाम मुर्तुजा था अब परिवर्तित होकर मेरा नया नाम मुर्तुजा हुसैन रसनी हो गया (s/o साकिर हुसैन 301 सनशाइन पर्ल 789 खातीवाला टैंक इंदौर) अब भविष्य में मुझे मुर्तुजा हुसैन रसनी नाम से जाना एवं पहचान जावे।

929

**नाम परिवर्तन सूचना**

पूर्व में मेरा नाम अजरा मुर्तुजा था अब परिवर्तित होकर नया नाम अजरा मुर्तुजा रसनी हो गया है (w/o मुर्तुजा हसनैन रसनी 301 सनशाइन 789 खातीवाला टैंक इंदौर) अब भविष्य में मुझे अजरा मुर्तुजा रसनी नाम से जाना पहचाना जावे।

928

**श्री दांगी जी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल**
पंजीयन क्र. डी.आर.बी. 535
दिनांक 17/5/1989

**अंतिम सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण एवं संस्था के संबंधित सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था द्वारा भूखंडों के विरूद्ध देय बकाया राशि जमा कराने हेतु समय-समय पर मौखिक एवं लिखित सूचनाएं प्रेषित की गईं। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.04.2026 को संबंधित चूककर्ता (Defaulting) सदस्यों को अंतिम विधिक नोटिस भी प्रेषित किया गया। तथापि, आज दिनांक तक कुछ सदस्यों द्वारा अपनी देय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः ऐसे समस्त बकायादार सदस्यों को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकशन की तिथि से 07 (सात) दिवस का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि वे अपनी संपूर्ण बकाया राशि संस्था में विधिवत जमा करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, उसके अधीन निर्मित नियमों तथा संस्था के पंजीकृत उपविधियों के अनुसार संबंधित सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने, भूखंड आवंटन निरस्त करने, संबंधित भूखंड का पुनः आवंटन करने तथा अन्य आवश्यक वैधानिक एवं विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी। निर्धारित अवधि के उपरांत उत्पन्न होने वाले समस्त विधिक परिणामों के लिए संबंधित सदस्य स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह सार्वजनिक सूचना अंतिम अवसर के रूप में प्रकाशित की जा रही है तथा इसे पूर्व में प्रेषित समस्त नोटिसों एवं विधिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त एवं उनके अधिकारों से बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव (Without Prejudice) के जारी किया जा रहा है।

**आदेशानुसार**
**श्री दांगी जी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल (मध्य प्रदेश)**
**मो. 9300615727**

927

**कार्यालयः पारस हर्मिटेज ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एण्ड मेंनटेनेंस को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल**
क्रमांक :वा.सा.आ./2026/क्यू-1
दिनांक 14.07.2026

**वार्षिक साधारण सभा की सूचना**

संस्था के समस्त अंशधारी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि पारस हर्मिटेज ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एण्ड मेंनटेनेंस को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल की वार्षिक साधारण सभा (आमसभा) रविवार दिनांक 02.08.2026 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- पारस हर्मिटेज परिसर स्थित बैंक्वेट हाल, क्लब हाउस, नर्मदापुरम रोड, भोपाल पर आयोजित की गई है। संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से सूचना-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कृपया तदुपरांत जिस किसी सदस्य को स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित की गई सूचना प्राप्त नहीं हुई हो ऐसे सदस्य इसे ही सूचना मानकर वार्षिक साधारण सभा की बैठक में उक्त दिनांक को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर बैठक में भाग ले सकते हैं।

**अध्यक्ष**
**पारस हर्मिटेज ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एण्ड मेंनटेनेंस को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल**

926

# नियमित शिविरों से बढ़ेगी जागरूकता : कृष्णा गौर

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाने और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न बस्तियों में नियमित स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, जिससे आमजन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अधिक से अधिक मरीज सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठा सकें। राज्यमंत्री श्रीमती गौर हथाईखेड़ा सिविल अस्पताल में आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा मरीजों को दी जा रही सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। श्रीमती गौर ने कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की कमी या समस्या को लंबित न रखा जाए। इसके लिए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

# एआई बदल रहा मीडिया का स्वरूपः झा

**नप्र, भोपालः** माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के छठे दिन वरिष्ठ पत्रकार सुधीर झा ने कहा कि एआई मीडिया उद्योग के पूरे कार्य-तंत्र को तेजी से बदल रहा है।

उन्होंने कहा कि एआई काम करने की गति बढ़ाता है, लेकिन यह तय करना मनुष्य को ही है कि उसका उपयोग किस सीमा तक और किस उद्देश्य के लिए किया जाए। सुधीर झा ने कहा कि आज समाचार सृजन, संपादन, शीर्षक लेखन, कंटेंट प्रबंधन, पेज डिजाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रस्तुत करने तक एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है। ऑडियो को वीडियो और वीडियो को टेक्स्ट में बदलने जैसे कार्य अब कुछ ही मिनटों में संभव हो रहे हैं। उन्होंने एआई के उपयोग में नैतिकता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी सामग्री के प्रकाशन से पहले बहुस्तरीय सत्यापन और संपादकीय विवेक अनिवार्य है।

कार्यक्रम के दूसरे तकनीकी सत्र में विशेषज्ञ जयप्रकाश पराशर ने मल्टीमॉडल एआई और रियल-टाइम वेरिफिकेशन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि एआई मॉडल उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के आधार पर बेहतर परिणाम देते हैं।

## सूडोकु नवताल- 7841

★★★★☆ मध्यम

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | | 6 |
| 3 | | | | | 2 | | | |
| | | 7 | 6 | 5 | | | | 4 |
| 9 | 6 | | 5 | | | 1 | | 7 |
| 5 | | 1 | 4 | | 9 | 8 | | 2 |
| 4 | | 8 | | | | | 5 | 3 |
| 2 | | | | 6 | 1 | 4 | | |
| | | | 7 | | | | | 8 |
| 7 | | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | | 1 |

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

### सूडोकु नवताल -7840 का हल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 |

## काकुरो पहेली - 7514

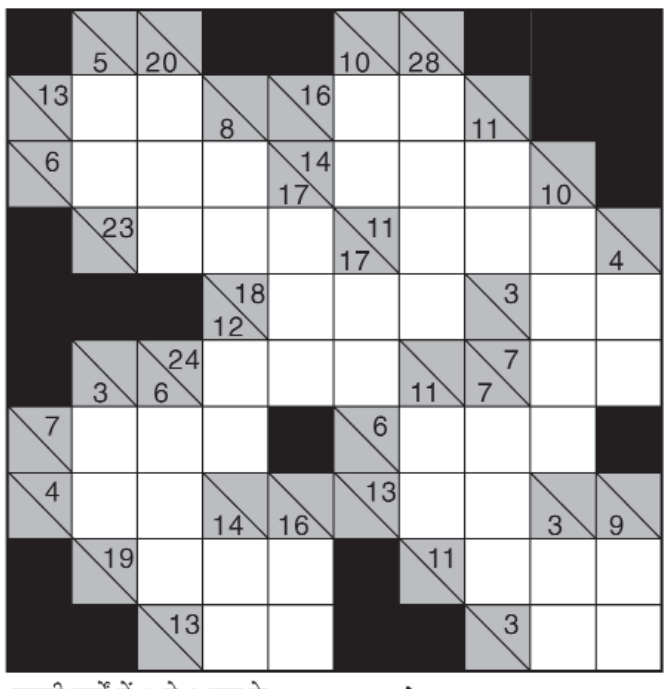

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए. किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

**उदाहरणतः**

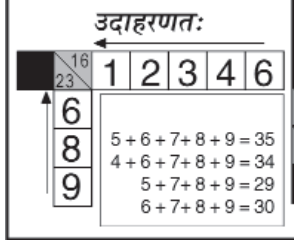


### काकुरो - 7513 का हल

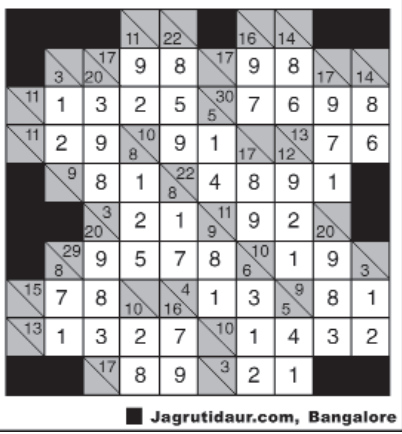

Jagrutidaur.com, Bangalore

## शब्द पहेली - 8911

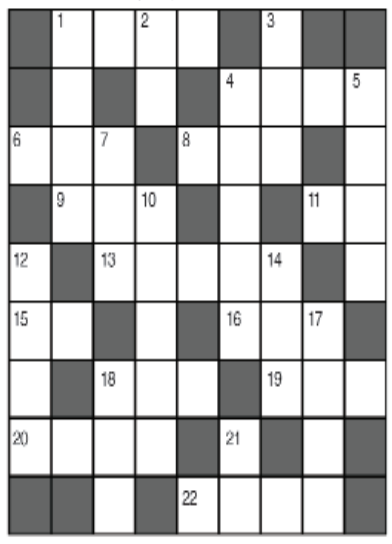

**बाएँ से दाएँ**

1. शमशीर, कृपाण-4
4. उपद्रवी, आतंकी-4
6. अनुबंध, संधि-3
8. धोखा, छल, मक्कारी-3
9. चांदी-3
11. अश्रु-2
13. नीचता-5
15. कुंजी, जिससे ताला खोलते हैं-2
16. पुराना जुकाम-3
18. प्रश्न-3
19. चांदी-3
20. जहां ताजिये दफन किए जाते हैं-4
22. बोरिया-बिस्तर-4

**ऊपर से नीचे**

1. झगड़ा, कहासुनी-4
2. संगीत यंत्र-2
3. बहुत बड़ा, विशाल-3
4. अपनत्व, अपनापा-5
5. अनबन, झगड़ा-4
7. कपड़े धोनेवाला-3
10. तहजीबदार-5
12. अकस्मात, सहसा-4
14. दृष्टि, निगाह-3
17. बेमिसाल, अनूठा-4
18. बलवान-3
21. उम्मीद, आशा-2

### शब्द पहेली -8910 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

## फिल्म वर्ग पहेली- 7353

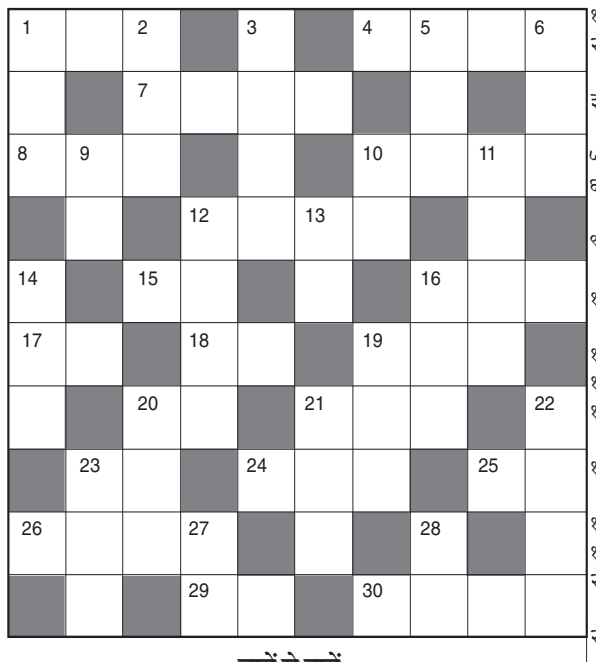

**बायें से दायें:-**

१. अनिल, अक्षय, मनोज, करीना, शमिता की फिल्म-३
४. 'भंवरे ने खिलाया फूल' गीत वाली ऋषिकपूर, पद्मिनी की फिल्म-४
७. फिरोजखान, संजय, मनीषा की 'आखिर तुम्हें आना है' गीत वाली फिल्म-४
८. अमिताभ, संजयदत्त, अक्षय, अमृता राव की फिल्म-३
१०. राजेंद्रकुमार, राखी की 'तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी' गीत वाली फिल्म-२,२
१२. 'ऐ सनम इतना बता' गीत वाली जैकी, मिथुन, जूही, दिव्या की फिल्म-४
१५. नाना, शाहरूख, संजय कपूर, करिश्मा की 'इश्क कमीना' गीतवाली फिल्म-२
१६. 'एहसान तेरा होगा मुझ पर' गीत वाली शम्मी कपूर, सायरा बानो की फिल्म-३
१७. 'बागबान' में अमिताभ की पत्नी ?-२
१८. 'कोई सोने के दिल वाला' गीत वाली देव आनंद, माला सिन्हा की फिल्म-२
१९. ऋषिकपूर, कमल हासन, डिम्पल की 'मारिया ओ मारिया' गीत वाली फिल्म-३
२०. 'आते जाते हुए' गीत वाली अमिताभ, शशिकपूर, राखी, परवीन की फिल्म-२
२१. राजकुमार, धर्मेन्द्र, मीनाकुमारी की 'तोरा मन दर्पण' गीत वाली फिल्म-३
२३. 'आज हमने दिल' गीत वाली नसीर, अतुलअग्निहोत्री, पूजाभट्ट की फिल्म-२
२४. राहुलराय, पूजा भट्ट की 'जो प्यार कर गये' गीत वाली फिल्म-३
२५. 'साल के बारा महीने' गीत वाली कुमार गौरव, माधुरी की फिल्म-२
२६. संजीवकुमार, शर्मिला की १९७४ की कृष्णन पंजु निर्देशित एक फिल्म-४
२९. 'पति पत्नी और वो' में संजीवकुमार के साथ नायिका कौन थी-२
३०. 'क्या चीज है मुहब्बत' गीत वाली सुनील शेट्टी, दिव्या की फिल्म-४

**ऊपर से नीचे:-**

१. 'जब ना माना दिल' गीत वाली फिल्म-३
२. कुलभूषण, जावेद, शबाना, नंदिता दास की एक फिल्म-३
३. 'नागिन सा रूप है तेरा' गीत वाली धर्मेन्द्र, हेमा, रीना राय की फिल्म-४
५. अमिताभ, वहीदा, जीनत की एक फिल्म-३
६. 'एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा' गीत वाली सुनीलदत्त, साधना की फिल्म-३
९. अर्जुन रामपाल, जायेदखान, अमीषा की 'उड़ उड़ उड़ उड़ जाये' गीत वाली फिल्म-२
१०. 'वो कागज की कश्ती' गीत वाली कुमार गौरव, अनामिका पाल की फिल्म-२
११. 'छुपाना भी नहीं आता' गीत वाली फिल्म-४
१२. अजय देवगन, करिश्मा कपूर की फिल्म-४
१३. जीतेंद्र, कमल सदाना, आयशा, दिव्या की 'तेरी मुहब्बत नें दिल में' गीत वाली फिल्म-२
१४. 'जिस दिल में बसा था प्यार तेरा' गीत वाली प्रदीपकुमार, कल्पना की फिल्म-३
१६. 'दो प्यार करने वाले' गीत वाली फिल्म-३
१९. संजयदत्त, सलमान, माधुरी की फिल्म-३
२०. राजकपूर मीनाकुमारी की 'ऐ चांद जहां वो जाये' गीत वाली फिल्म-३
२१. 'जैक एण्ड जिल' गीत वाली अजय, उर्मिला की फिल्म-३
२२. 'मैंने प्यार किया' में नायक कौन था-४
२३. 'आँखों में नींदें ना दिल में' गीत वाली संजयदत्त, मनीषा की फिल्म-३
२७. फिल्म 'नीलकमल' के संगीतकार कौन थे-२
२८. 'दिलवालों के दिल का करार लूटने' गीत वाली फिल्म-२

### फिल्म वर्ग पहेली- 7352

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बा | रू | द | | र | | का | ला | पा | नी |
| बु | | रा | व | ण | रा | ज | | प | |
| ल | की | र | | भू | | ल | क्ष्य | | ह |
| | म | | दा | मि | नी | | | खे | ल |
| जी | त | | मा | | य | ती | म | | च |
| वा | | कु | द | र | त | | हा | सि | ल |
| | मि | ली | | ज | | जी | न | त | |
| जीं | स | | सु | नी | ल | | | म | न |
| | मे | ला | | गं | | | जा | | सी |
| नू | री | | अं | धा | का | नू | न | | ब |

Jagrutidaur.com, Bangalore

## अष्टयोग-7447

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | 6 | 4 | | 1 |
| 4 | 33 | 4 | 40 | 7 | 31 | 2 |
| | 2 | 6 | 3 | | 1 | |
| 1 | 29 | | 37 | | 35 | 5 |
| | 1 | | 4 | 3 | 5 | |
| 6 | 30 | 2 | 24 | 1 | 30 | 3 |
| 5 | | 1 | 4 | | | 7 |

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

### अष्टयोग 7446 का हल

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 29 | 6 | 37 | 2 | 31 | 1 |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 5 | 29 | 1 | 33 | 4 | 37 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 33 | 4 | 31 | 3 | 30 | 7 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |

Jagrutidaur.com, Bangalore

## शब्दजाल - 8467

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब | क | दो | यु | ला | प | ब | रे | ली | झ | क |
| ज | ल | ल | प | आ | रिं | पू | ना | दि | शा | ऊ |
| अं | इ | रा | म | सं | ग | ल | श | र | न | ल |
| क | कु | दा | म | धा | ब | रा | प | ख | श | र |
| क | ति | ब | न | पु | क | र | ल | ग | वी | इ |
| ब | स्ती | ल | लि | व | र | र्त | ऐ | ढ़ | प | ला |
| ती | अ | ल | श | या | प | म | ग | कौ | ला | ह |
| क | ली | अ | ब | त | क | म | प्प | न | श | बा |
| क | ग | थो | तें | व | ज | ज | द | शा | जू | द |
| द | ढ़ | ल | प | आ | रं | र्त | ऐ | बें | प | रु |
| थो | त | सा | बि | ज | नौ | र | जा | एं | प | क |

शब्द जाल में उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के नाम ढूंढिए. नाम उपर से नीचे एवं तिरछे भी हैं.

आगरा, अलीगढ़, इलाहबाद, आजमगढ़, बस्ती, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बिजनौर, लखनऊ.

### शब्दजाल - 8466 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore